

तेलंगाना में अनुसूचति जातियों का उप-वर्गीकरण

स्रोत: द द्रिष्टि

हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचति जातियों (SC) को चार अलग-अलग उप-समूहों (A, B, C और D) में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की है।

- यह घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक नरिणय के बाद हुआ है जिसमें राज्यों को आरक्षण के प्रयोजनों के लिये अनुसूचति जातियों (SC) और अनुसूचति जनजातियों (ST) सहित आरक्षण श्रेणियों को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार दिया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पुनर्विचार नरिणय में राज्यों को पछिडेपन के वभिनिन स्तरों के आधार पर संवधान के अनुच्छेद 14 के तहत अनुसूचति जातियों और अनुसूचति जनजातियों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति दी।
 - इसने फैसला सुनाया कि 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत, जो पहले केवल अन्य पछिडा वर्ग (OBC) पर लागू होता था (जैसा कि इंदिरा साहनी मामले में उजागर किया गया था), अब एससी और एसटी पर भी लागू होना चाहिये।
 - यह भी माना गया कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी के लिये लागू हो; यदि परिवार के किसी सदस्य ने लाभ ले लिया है, तो दूसरी पीढ़ी इसके लिये अयोग्य हो।

और पढ़ें: सर्वोच्च न्यायालय ने SC और ST उप-वर्गीकरण की अनुमति दी